<u>जिला रैडक्रास शाखा, पंचकूला मार्फत वृद्ध आश्रम सैक्टर-15 पंचकूला।</u>

नीलामी सूचना

जिला रैडक्रास शाखा पंचकूला द्वारा सामान्य अस्पताल सैक्टर-6, पंचकूला के प्रांगण में निर्मित कैन्टीन जो 24 X 7 खुली रहेगी, को मासिक किराए पर दिया जाना है। इस स्थल को किराए पर देने के लिए नीलामी दिनांक 16.05.2017 को प्रातः 11.00 बजे नगराधीश पंचकूला के कार्यालय कक्ष जो जिला सचिवालय सैक्टर-1, पंचकूला में स्थित है, मे की जाएगी। इच्छुक पार्टियाँ/व्यक्ति जिनको कैन्टीन चलाने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो, अपने पहचान पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र के साथ साथ जमानत राशि मु0 1,00,00,0/- रु का बैक ड्राफट जो जिला रैडक्रास शाखा पंचकूला के पक्ष में हो दिनांक 15.05.2017 को सायं 5.00 बजे तक, होने वाली नीलामी में शामिल हेतु जमा करवाने होगें। अन्तिम बोलीदाता द्वारा वार्षिक किराए का 25 प्रतिशत नीलामी स्थल पर ही जमा करवाना होगा, जो कि अग्रिम किराए के रूप में कार्यालय में जमा रहेगी। इस स्थल की नीलामी व चलाने हेतु सम्बन्धित नियम व शर्तें जिला रैडक्रास कार्यालय सैक्टर-15, पंचकूला व पंचकूला जिला की website **www.panchkula.nic.in** में देखी जा सकती हैं।

सचिव
जिला रैडक्रास सोसायटी,
पंचकूला।
0172-2595009

नागरिक अस्पताल सैक्टर 6 पंचकूला स्थित रैडक्रास कैन्टीन को चलाने हेतु नियम व शर्ते।

1. कैन्टीन भवन/बूथ पर जिला रैडक्रास शाखा का नाम लिखा होगा।
2. कैन्टीन 24X7 (24 घंटे) मरीजों व तीमारदारों के लिए खुली रहेगी।
3. कैन्टीन नीलामी में हिस्सा लेने हेतु व्यक्तियों/फर्मो के पास कैन्टीन चलाने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव जरुरी है।
4. नीलामी में हिस्सा लेने हेतु व्यक्तियों/फर्मो को अपना पहचान पत्र से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगे।
5. यह कि कैन्टीन की टेका अवधि शुरु में दो वर्ष के लिए होगी जो कि दिनांक .... से .... तक होगी तथा यह अवधि सन्तोषजनक कार्य होने की स्थिती में अगले एक वर्ष तक मासिक किराए में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए बढ़ाई जा सकती है।
6. निर्धारित होने वाला मासिक किराया 6 महीने का 15 दिन के अन्दर जमा करवाना होगा तथा अगले 6 महीने का किराया प्रथम 6 महीने की अवधि समाप्त होने पर 15 दिन के अन्दर अन्दर जमा करवाना होगा।
7. कैन्टीन भवन/बूथ अच्छी स्थिति में निर्धारित अवधि बाद खाली करनी होगी तथा जिसका कब्जा स्वतः ही जिला रैडक्रास शाखा, पंचकूला के नाम होगा।
8. बिजली का कनैक्शन, पानी का कनेक्शन ईन्धन गैस का कनैक्शन जिला रैडक्रास शाखा पंचकूला के नाम होगा तथा इन कनैक्शनों पर जो राशि खर्च होगी उसकी अदायगी सफल बोली दाता को स्वयं वहन करनी होगी तथा अवधि समाप्त होने उपरान्त यह कनैक्शन No Due Certificate के साथ रैडक्रास कार्यालय में जमा करवाने होगें।
9. कैन्टीन को चलाने के लिए बिजली पानी व अन्य खर्च जो भी होगें वह बोली दाता को वहन करने होंगे।
10. कैन्टीन चलाने हेतु स्वास्थय विभाग या किसी अन्य विभाग से फूड लाईसैन्स/सेल टैक्स संख्या की आवश्यकता होगी तो वह ठेकेदार को सम्बन्धित विभाग से अपने खर्च पर लेना होगा।
11. कैन्टीन सेवाएं आम जनता के लिए उपलब्ध करनी होगी।
12. कैन्टीन/बूथ में अच्छी गुणवता की खाद्य सामग्री व अन्य सामान की बिक्री की अनुमति होगी।
13. आम जनता के लिए नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन व अन्य खाद्य सामग्री समुचित मात्रा में व अच्छी गुणवता की उपलब्ध करानी होगी।
14. बिक्री की जाने वाली वस्तुओं की दरें जिला रैडक्रास सोसाईटी से अनुमोदित करानी होगी तथा किसी भी सूरत में बाजार दरों से अधिक नही होनी चाहिए। कैन्टीन में बिकने वाली सभी वस्तुओं की दरें कैन्टीन से बाहर अंकित करनी होगी तथा बिक्री की जाने वाली भोज पदार्थ व उनको किन दरों पर बेचा जाना है कि सूची सलंग्न है।
15. कैन्टीन तथा इसके आसपास साफ सफाई की समुचित व्यवस्था करनी होगी।
16. यदि किसी अवस्था में यह पाया जाता है कि आप द्वारा कैन्टीन में बेची जाने वाली वस्तुएं अच्छी गुणवता की होनी चहिए तथा स्वास्थ्य विभाग कभी भी इस कैन्टीन मे बेची जाने वाले वस्तुओ का सैम्पल ले सकते है और यदि वह वस्तु ठीक नही पाई गई इन खाद्य वस्तुओं मे प्रयोग होने वालो के स्वास्थय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो कैन्टीन ठेका अवधि तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी।
17. ठेका अवधि को बिना किसी कारण के 48 घण्टों के नोटिस पर रदद कर दी जाएगी।
18. यदि खाद्य पदार्थ अस्वास्थयवर्धक पाए जाते हैं तो ठेका अवधि तुरन्त प्रभाव से रदद कर दी जाएगी।
19. खाद्य पदार्थों की सूचि को रेट सहित प्रदर्शित करना होगा।
20. बर्तन व अन्य सभी प्रकार का सामान साफ व स्वास्थयवर्धक होगा।
21. ठेकेदार द्वारा Disposal & Garbage को नियमानुसार निपटान का उचित प्रबन्ध करना होगा।
22. ठेकेदार द्वारा कैन्टिन में बनाए जाने वाली खाद्य सामग्री का अलग से प्रबन्ध करना होगा।
23. कैन्टीन के कर्मचारी वावर्दी होंगे जिसके उपर Name Plate लगी होगी।
24. कैन्टीन भवन में जिला प्रशासन पंचकूला के प्रतिनिधि/जिला रैडक्रास शाखा पंचकूला के प्रतिनिधि किसी भी समय बिना सूचित किए निरीक्षण करने हेतु प्रवेश के हकदार होगें।
25. इस कैन्टीन को चलाने के लिए उपरोक्त नियम व शर्तो में बिना किसी सूचना के अन्य शर्ते जोड़ने तथा बदलाव करने का अधिकार जिला प्रशासन/जिला रैडक्रास पंचकूला को होगा।
26. यदि कभी ऐसा पाया गया कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त शर्तो व नियमों की अवहेलना कर रहे है तथा इनका व्यवहार ग्राहको के साथ ठीक नहीं है तो उपायुक्त एवं प्रधान जिला रैडक्रास शाखा पंचकूला को आपको बिना किसी सूचना के कैन्टीन अवधि को तुरन्त रद्द करने का अधिकार होगा।
27. यदि रैडक्रास कैन्टीन में किसी प्रकार का कोई झगड़ा या झगड़े जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति/झगड़ा को सूलझाने में प्रथम अपीलीय अधिकारी नगराधीश पंचकूला होंगे तथा अन्तिम व द्वितीय अपीलीय अधिकारी उपायुक्त पंचकूला होंगे तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा एवम् दोनो पक्षों स्वीकारय होगा। इस अधिकार के तहत उपायुक्त पंचकूला को रैडक्रास कैन्टिन से सम्बन्धित नियम व शर्तो में बदलाव व अन्य शर्ते जोड़ने का एकाधिकार होगा तथा किसी भी पक्ष को उपायुक्त पंचकूला के इस एकाधिकार को चुनोती देने का अधिकार नहीं होगा।

सचिव
जिला रैडक्रास शाखा
पचंकूला।